राजस्थान सरकार
निदेशालय को   । एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर–302006
(दूरभा । 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे–III /896   दिनांकः– 23/2/2026

आदेश संख्याः– 543/2025–26

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को कॉलम संख्या 05 में अंकित सम्बन्धित हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा) में दिनांक (दिनांक 23.02.2026 से 27.03. 2026 तक) तक आयोजित होने वाले कनिठ लेखाकार पद के पाँच सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया जाता हैं:–

सारणी–I

S.No.	Roll No.	Name Of Junior Accountant	Name Of Present Office	Training Centre
1	2	3	4	5
1.	723484	UMESH KUMAR SHYORAN	ASTT. MINING ENGG. – 8001798 , MINES AND GEOLOGY , CHURU , CHURU	BIKANER
2.	700022	MANJEET MEENA	INCHARGE P.V. PARTY – 7000084 , INSPECTION , BHILWARA , BHILWARA	KOTA
3.	781342	NARSING DAN	MEDICAL OFFICER CHC – 22630 , MEDICAL AND HEALTH , KALYANPUR , BALOTRA	BIKANER
4.	781063	SURENDRA KUMAR	SUB TREASURY OFFICER (INDEPENDENT) – 20531 , TREASURIES AND ACCOUNTS , BILADA, JODHPUR	JODHPUR
5.	778427	ABHIMANYU RATHORE	TEHSILDAR – 24411 , REVENUE DEPARTMENT , BILADA, JODHPUR	JODHPUR
6.	776433	SHREE RAM	SUB TREASURY OFFICER (INDEPENDENT) – 20531 , TREASURIES AND ACCOUNTS , BILADA	JODHPUR
7.	782837	PRIYESH RAJPUROHIT	DISTRICT EDUCATION OFFICER – 15571 , EDUCATION (SECONDARY) , PALI , PALI	JODHPUR
8.	711069	SHUBHENDRA SINGH JADAUN	CBEO – 1638 , EDUCATION (ELEMENTARY) , KARAULI , KARAULI	KOTA
9.	718755	PRASHANT KARWASARA	SECRETARY BIKANER DEVELOPMENT AUTHORITY – 8001930 , URBAN DEVELOPMENT & HOUSING DEPARTMENT , BIKANER , BIKANER	BIKANER
10.	703190	MAYA DUKIYA	SOCIAL SECURITY OFFICER – 3000465 , SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT , MUNDWA , NAGAUR	BIKANER
11.	DGS	PRITAM KUMAR KATEWA	ASSISTANT DIRECTOR AGRICULTURE EXT. SUNJANGARH CHURU	BIKANER
12.	729014	ANJU KUMARI MEENA	MEDICAL OFFICER CHC – 22655 , MEDICAL AND HEALTH , JAHAJPUR , BHILWARA	KOTA
13.	778387	DINESH RIYAR	TREASURY OFFICER (RURAL) – 1116 , TREASURIES AND ACCOUNTS , JODHPUR , JODHPUR	JODHPUR
14.	771421	DEEPAK KUMAR SONI	DEPOT MANAGER – 1000260 , RSBCL (EX CADRE POSTS) , DAUSA , DAUSA	KOTA
15.	706500	DHRUV PANAGADIA	SUPDT. ESI HOSPITAL – 4847 , MEDICAL AND HEALTH (ESI) , BHILWARA , BHILWARA	KOTA
16.	771456	PADAM SINGH GURJAR	SE CIRCLE – 2477 , PUBLIC WORKS DEPARTMENT , BARAN , BARAN	KOTA
17.	730586	SHATRUGHN NARNOLIYA	COLLECTOR – 23711 , REVENUE DEPARTMENT , AJMER , AJMER	JODHPUR
18.	709761	PRIYANKA KALA	CBEO - 8000528 , EDUCATION (ELEMENTARY) , KHINVSAR , NAGAUR	BIKANER

23/2/2026

19.	781811	SURESH CHAUKIDAR	ADDL. CE - 14410 , PUBLIC WORKS DEPARTMENT , JODHPUR , JODHPUR	JODHPUR

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों का पूर्व में विभागीय आदेश दिनांक 19.02.2026 द्वारा आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र (कॉलम संख्या 05) में संशोधन कर कॉलम संख्या 06 के अनुसार नव प्रशिक्षण केन्द्र आवण्टित किया जाता है:–

सारणी–2

S.No.	Roll No.	Name Of Junior Accountant	Name Of Present Office	Previously Alloted Training Centre	Revised Training Centre
1	2	3	4	5	6
73.	781036	NATWAR SINGH	DISTRICT EDUCATION OFFICER , EDUCATION (ELEMENTARY) , PHALODI,	HCM RIPA BIKANER	HCM RIPA JODHPUR
30.	776252	RAM GAJENDRA KUMAR	SUB TREASURY OFFICER - 33292 , TREASURIES AND ACCOUNTS , DHORIMANNA , BARMER	HCM RIPA BIKANER	HCM RIPA JODHPUR
42.	777303	LADHU RAM VISHNOI	X. EN CITY DIV - 3815 , PHED , BARMER , BARMER	HCM RIPA BIKANER	HCM RIPA JODHPUR
44.	772925	CHANCHAL JOSHI	TREASURY OFFICER - 1095 , TREASURIES AND ACCOUNTS , BARMER , BARMER	HCM RIPA JODHPUR	HCM RIPA BIKANER
76.	777714	MAHAVEER	SOCIAL SECURITY OFFICER - 8000928 , SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT , LOHAWAT , PHALODI	HCM RIPA BIKANER	HCM RIPA JODHPUR
75.	777148	SANGA RAM	CBEO, SMSA - 8000300 , RAJASTHAN SCHOOL EDUCATION COUNCIL SSA (EX CADRE POSTS) , LOHAWAT , PHALODI	HCM RIPA BIKANER	HCM RIPA JODHPUR

उक्त प्रशिक्षण की अवधि **पांच सप्ताह (सोमवार से शुक्रवार)** की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा एवं प्रतिदिन 06 व्याख्यान (लेक्चर) होंगे। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण गैर–आवासीय है, यदि प्रशिक्षणार्थी आवास/बोर्डिंग आदि का लाभ लेना चाहे तो आवास व खान–पान आदि हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध रहेगी। यद्यपि कार्यदिवसों हेतु मध्यान्ह भोजन (Working Lunch) सभी प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया।

उक्त प्रशिक्षण अवधि में यात्रा भत्ता नियम के अध्याय XIII के नियम 34(2) अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं होगा। परन्तु मील भत्ता नियमानुसार देय होगा। **अतः उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकारों को निदेशालय स्तर से दिनांक 23.02.2026 को मध्याहृन पश्चात् कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 24.02.2026 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देना सुनिश्चित करावें। उक्त प्रशिक्षण अनिवार्य है इसलिए किसी प्रकार का शिथिलन दिया जाना संभव नही है।**

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

23/2/2026

(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः— एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे—ाा /896 दिनांकः— 23/2/2026

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—</u>

1. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जे.एल.एन मार्ग, जयपुर को प्रेषित कर लेख कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करावें।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.. को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रुप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।
5. **सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नही करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।**
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

23/2/26

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक—ाा/ाा)